अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजू पत्नि रामाराम बनाम गुलाब बनाम रावाई वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . नम्बर...190 सन.2022(रूपनगढ़)

2022 / 190

श्री महेन्द्रसिंह चौहान एड0

राजू बनाम गुलाब वगैरह

..07.2022

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नया खाता संख्या 184 के खसरा नम्बर 262 क्षेत्रफल 3.0837 है0 में वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान अपीलांट का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा तथा प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट का 1/6 हिस्सा निहित चला आ रहा है। इस प्रकार से विवादित आराजीयात काआज दिनांक तक बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजीयात का बंटवारा किया जावें। उक्त वाद पत्र के साथ वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र समान कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया। जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वर्तमान अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये विवादित आराजी बाबत् वर्तमान अपीलांट की उसकी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात बाबत् मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 05.07.2022 को पारित कर दिया। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 262 रकबा 3.0837 है0 बाबत् वर्तमान अपीलांट खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज थी तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा निहित है तथा अपीलांट अपीलांट अपनी उक्त खातेदारी /काश्तकारी की आराजीयात पर मौके पर काबिज काश्त चली आ रही थी तथा विधि अनुसार अपीलांट जो कि खातेदार काश्तकार है को किसी भी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से बिना प्रार्थीया को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा में प्रार्थीया के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया जिसकी आड़ में विपक्षीया प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर उतारू हो रही है तथा उक्त आदेश से प्रार्थीया अपनी आराजीयात को विकसित करने में असमर्थ हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में निहित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने दिनांक 05.07.2022 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर करके ग्राम नरेना के खसरा नम्बर 262 रकबा 3.0837 है0 में अप्रार्थीगण को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आगामी तारीख पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करके दिनांक 12.08.2022 पेशी नियत की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2022 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। जब अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हो गयी तो अप्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्थायी

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

निषेधाज्ञा बाबत् चाराजोही करनी चाहिए थी। अप्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के निर्णय तक विवादित आराजी को संरक्षित रखने के उद्देश्य से मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय को एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर आदेश पारित करते समय जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 02 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आगामी पेशी देनी चाहिए थी। जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 02 के अनुसार यदि एकतरफा स्थगन पारित किया जाता है तो उसे 30 दिवस में निस्तारण करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एक तरफा आदेश में 30 दिवस से अधिक की पेशी दी गयी है जो विधि सम्मत नही है। अपीलांट को अपना पक्ष रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था, चुँकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पक्षकार को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर